कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सुलतानपुर।

पत्रांक 906 /अधि0/स0सु0/2020 दिनांक 17-06-20

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयाानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणो से सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है, और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1988 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रो की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए सुलतानपुर जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रो में मार्गो या मार्गो के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र	मार्ग का नाम एवं सं0	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर टैम्पो टैक्सी	चालक सहित 7 सीटो तक वाले यात्री यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4 , 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5		6
1	टांडा–सुलतानपुर–रायबरेली– बांदा मार्ग (एन0एच0–128)	कटकाखानपुर–अकबरपुर वाया पीढी सेमरी	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
2	कादीपुर–अखण्डनगर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) हलियापुर–बेलवाई मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या–66ई)	कादीपुर–बेलवाई वाया अखण्डनगर	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
3	हलियापुर–बेलवाई मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या–66ई) बिरसिंहपुर–पापरघाट मार्ग (अन्य जिला मार्ग) इटकौली–जयसिंहपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	बेलवाई'अखण्डनगर–दोस्तपुर–बिरसिंहपुर–इटकौली	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
4	सुलतानपुर–कुड़वार–हलियापुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	सुलतानपुर–कुड़वार–हलियापुर	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
5	कुड़वार अलीगंज धम्मौर मार्ग	सुलतानपुर–कुड़वार–	40 किमी प्रति	60 किमी	60 किमी	50 किमी प्रति

		अलीगंज	घण्टा	प्रति घण्टा	प्रति घण्टा	घण्टा
6	अमहट–भादर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	सुलतानपुर–अमहट चौराहा–दूबेपुर–जनतागंज–भादर–अमेठी	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
7	दुर्गापुर लम्भुआ मार्ग	दुर्गापुर–लम्भुआ	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
8	अकबरपुर–चांदा–पट्टी–देल्हूपुर मार्ग (एस0एच0–128)	कादीपुर–चांदा–पटटी	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
9	सूरापुर–दोस्तपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) भवानीपुर–इब्राहिमपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	इब्राहीमपुर–सूरापुर–मुड़ीलाडीह–दोस्तपुर	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
10	दुर्गापुर लम्भुआ मार्ग 24 एवं कामतागंज शम्भूगंज शिवगढ़ मधुपर मार्ग	दुर्गापुर–कन्हईपुर शम्भूगंज–शिवगंढ	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
11	दुर्गापुर लम्भुआ मार्ग 24 एवं पखरौली हनुमानगंज कन्हईपुर ज्ञानीपुर रामगंज मार्ग	दुर्गापुर–कन्हईपुर–ज्ञानीपुर चिलबिला	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
11	मोतिगरपुर–दोस्तपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) हलियापुर–बेलवाई मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या–66ई)	मोतिगरपुर–दोस्तपुर–अखण्डनगर–बेलवाई	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
13	कामतागंज नेमपुर घाट मार्ग (अन्य जिला मार्ग) मोतिगरपुर–दोस्तपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) लखनऊ–आजमगढ़–बलिया मार्ग (एस0एच0–34)	नेमपुर–दोस्तपुर–मोतिगरपुर–इटकौली	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
14	हलियापुर–बेलवाई मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या–66ई)	दोस्तपुर–बिरसिंहपुर–पीढ़ी– कूरेभार	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
15	दुर्गापुर लम्भुआ मार्ग 24	लम्भुआ–कन्हईपुर–दुर्गापुर– भादर–अमेठी	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
16	हलियापुर–बेलवाई मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या–66ई) इरूल–मुसहर–नचना मार्ग (अन्य जिला मार्ग) हैदरगंज–गोसाईगंज–बेरूगंज मार्ग (जनपद–अयोध्या)	कूरेभाग–हैदरगंज–गोसाईगंज	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
17	कामतागंज शम्भूगंज शिवगढ़ मधूपुर मार्ग	कामतागंज–शम्भूगंज–शिवगढ़–मदाफरपुर	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा
18	केशवपुर सम्पर्क मार्ग, पखरौली हनुमानगंज कन्हईपुर ज्ञानीपुर रामगंज मार्ग एवं दुर्गापुर लम्भुआ मार्ग	केशवपुर–ज्ञानीपुर–दुर्गापुर	40 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	60 किमी प्रति घण्टा	50 किमी प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा–

(I) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्ति बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक के अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(II) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 मं विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नही होगा–

अ) अग्निशमन वाहन।

ब) एम्बुलेन्स।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन

(III) उपरोक्त तालिका के कालम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रो (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधित द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से

(माला बाजपेयी)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, सुलतानपुर।

पत्रांक 906 /अधि0स0सु0/2020 समदिनांकित

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
4. पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐसबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) उ0प्र0 लखनऊ।
7. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), लखनऊ
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन्/प्रवर्तन), अयोध्या।
9. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निमार्ण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग सुलतानपुर।
10. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी), लखनऊ उ0प्र0।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, सुलतानपुर।